

सविलि रजिस्ट्रेशन सस्टिम (CRS) मोबाइल एप्लीकेशन

[स्रोत:TH](#)

केंद्रीय गृह मंत्री ने शासन के साथ प्रौद्योगिकी को एकीकृत करने के लिये [सविलि रजिस्ट्रेशन सस्टिम\(CRS\)](#) मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया।

- इसे [भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त \(RGCCI\)](#) द्वारा विकसित किया गया है, जो भारत में दशकीय जनगणना आयोजित करने के लिये ज़िम्मेदार है।
- यह एप्लीकेशन **जन्म एवं मृत्यु के पंजीकरण की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करेगा**, जिससे नागरिकों को किसी भी समय, कहीं से भी और अपने राज्य की आधिकारिक भाषा में इन महत्वपूर्ण घटनाओं को पंजीकृत करने की अनुमति देकर परेशानी मुक्त अनुभव सुनिश्चित होगा।

सविलि रजिस्ट्रेशन सस्टिम (CRS):

- [जन्म और मृत्यु पंजीकरण \(संशोधन\) अधिनियम, 2023](#), 1 अक्टूबर, 2023 से केंद्र के पोर्टल के माध्यम से भारत में **जन्म तथा मृत्यु का डिजिटल पंजीकरण** अनिवार्य करता है।
- यह स्कूल में प्रवेश, सरकारी नौकरियों और विवाह पंजीकरण जैसी सेवाओं के लिये **जन्मतथि की पुष्टि करने हेतु एकल दस्तावेज़** के रूप में कार्य करेगा।
- एक केंद्रीकृत डेटाबेस [राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर \(NPR\)](#), [राशन कार्ड](#), [संपत्तिपंजीकरण](#) और [मतदाता सूची](#) को अपडेट करने में सहायता करेगा।
 - NPR डेटा, पहली बार वर्ष 2010 में एकत्र किया गया और वर्ष 2015 में अपडेट किया गया, इसमें 119 करोड़ नविसयों का वविरण शामिल है तथा यह [नागरिकता अधिनियम, 2019](#) के तहत **नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर** का अग्रदूत है।

और पढ़ें: [जन्म पंजीकरण पर सर्वोच्च न्यायालय का नोटिस](#)